राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश (मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी) म.प्र.

प्रकरण क.   /12 R. 2322-I/12

आवेदकः– संजय भाटिया उम्र 50 वर्ष लगभग,
आत्मज स्व. गुलजारी लाल भाटिया,
नि. 57 नेपियर टाऊन, जबलपुर म.प्र.

विरूद्ध

अनावेदकः– श्री श्यामलाल भाटिया उम्र 67 लगभग,
आत्मज स्व. श्री मूल राज भाटिया,
नि. 57 नेपियर टाऊन, जबलपुर,

आवेदन (निर्देश) अंतर्गत धारा 56 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम 1899

आवेदक निम्न लिखित कथन करता हैः–

अपीलार्थी माननीय न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस्, जिला जबलपुर म.प्र. श्री नरेन्द्र शर्मा, द्वारा प्रकरण.क्र. 181/बी–103/धारा 33/2011–12 में पारित निर्णय दिनॉक 26.6.12 से अंशतः व्यथित होकर निम्न अनुसार एवं आधारों पर यह उपातंरण (संशोधन) हेतू आवेदन प्रस्तुत करता हैः–

1. यह कि, आवेदक द्वारा एक आवेदन वास्ते विक्रय अनुबंध दिनांक 16.06.11 पक्षकार संजय भाटिया एवं श्यामलाल भाटिया को स्टाम्पित किये जाने हेतू न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस्, जिला जबलपुर म.प्र. के समक्ष धारा 33 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम 1899 के तहत प्रस्तुत किया गया था।
2. यह कि, पक्षकारों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित आवेदन व प्रकरण में दिनांक 26.06.12 को आदेश पारित करते हुऐ विक्रय अनुबंध दिनांक 16.06.11 को विक्रय अनुबंध के साथ साथ कब्जा सहित अनिश्चित कालीन अवधि का कियायानामा (शाशवत किरायनामा) (Perpitual lease deed) मानते हुऐ मुद्रांका शुल्क सारणी 1 (क) के अनुच्छेद के अंतर्गत प्रीमियम की राशि पर 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय होना आदेशित किया गया है, जबकि प्रकरण के दोनों पक्षकारों का ऐसा प्रकरण नहीं था और न ही दस्तावेज से ऐसा प्रकट होता है अतः आदेश निम्न आधारों पर उपातरण (संशोधन) हेतू निवेदन हैः–

आधार

1. यह कि, दस्तावेज के सभी शर्तों से व उसके मुख (Face of the document) से यह नहीं कहा जा सकता की उक्त दस्तावेज कब्जा सहित अनिश्चित कालीन किरायानामा है। और उक्त दस्तावेज की शर्तों से यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज मात्र एक विक्रय हेतू अनुबंध है। जिसमें कि प्रस्तावित क्रेता को कभी कभी प्रवेश व उपयोग हेतू अनुमति दी गयी है।
2. यह कि, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 105 में लीज पट्टा (Lease) को परिभाषित किया गया है जिसके आवश्यक तथ्य माननीय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखते हुऐ विषय वस्तु दस्तावेज का लीज डीड होना प्रतिपादित किया गया है अतः आदेश विधि के विपरीत होने से उपातंरित (Modified) किये जाने का हेतू निवेदन है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 2322–एक / 12

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25–5–16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 12–2–13 को उपस्थित थे किंतु उसके बाद लगातार अनुपस्थित हैं । आवेदक को उक्त दिनांक के बाद कई बार सूचना पत्र जारी किया गया किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	